डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

आज अदालत सहायक कलक्टर नदबई

व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

मु0 उन0 बच्चू बनाम बृजेन्द्र वगै0

दावा बाबत् 53,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 73/2022

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददइ व .... मिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी को मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 07.08.24 के अनुसार अंकित आराजी खसरा नम्बर वाके ग्राम पिपरऊ तहसील स्थित नदबई पर (आराजी खसरा नंबर 456 व 458 के अतिरिक्त) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.08.24 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 07.08.24 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाम्हत, किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे एवं विवादित आराजी खसरा नंबर 456 व 458 वाके ग्राम पिपरऊ पर वादी व प्रतिवादी को संशोधित कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 18.10.24 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

बिज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख व वुसुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 21.2.25 .... को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 21/2/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुददालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. बच्चू पुत्र बोदन जाति जाट निवासी पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. बृजेन्द्र पुत्र बोदन जाति जाट निवासी पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. एचडीएफसी बैंक शाखा सरकूलर रोड भरतपुर जरिए शाखा प्रबंधक।
4. पंजाब नेशलन बैंक नदबई जरिए शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

21/7/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

दावा सं.	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री व निर्णय दिनांक
73 / 2022	13.05.2022	21.07.25

उनवान

1. बच्चू पुत्र बोदन जाति जाट निवासी पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. बृजेन्द्र पुत्र बोदन जाति जाट निवासी पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. एचडीएफसी बैंक शाखा सरकूलर रोड भरतपुर जरिए शाखा प्रबंधक।
4. पंजाब नेशलन बैंक नदबई जरिए शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रघुवीर शरण एडवो0 (वादी की ओर से)

श्री रमेश देशवाल एडवो0 (प्रतिवादीगण की ओर से)

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए एक्ट

—: निर्णय :—

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विवादित आराजी खसरा नंबर 1093 रकबा 0.05, 1094 रकबा 0.05, 1241 रकबा 0.12, 1242 रकबा 0.04, 1257 / 2397 रकबा 0.01, 1259 रकबा 0.05, 1268 रकबा 0.11, 1287 रकबा 0.06, 1304 रकबा 0.05, 1306 रकबा 0.03, 1310 रकबा 0.15, 1581 रकबा 0.28, 1958 रकबा 0.45, 1959 रकबा 0.46, 455 रकबा 0.28, 456 रकबा 0.28, 457 रकबा 0.30, 458 रकबा 0.15, 459 रकबा 0.28, 460 रकबा 0.29, 461 रकबा 0.01, 462 रकबा 0.15, 469 रकबा 0.15, 470 रकबा 0.18, 502 रकबा 0.03, 504 रकबा 0:16, 516 रकबा 0.15, 520 रकबा 0.10, 854 रकबा 0.09, 863 रकबा 0.07, 897 रकबा 0.03, 900 रकबा 0.04, 907 रकबा 0.01, 922 रकबा 0.01, 927 रकबा 0.10, [illegible] रकबा 0.01, 941 रकबा 0.10, 973 रकबा 0.08, 974 रकबा 0.02, 980 रकबा 0.1[illegible], [illegible]90 रकबा 0.05 किता 41 रकबा 5.20 हैक्ट वाके ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई में स्थित है। जमाबंदी संवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:03 IST
Reason: SelfAttested

21/7/25

Scanned with OKEN Scanner

2075–78 पेश है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के कुरेजात किए जाकर वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड कानूनी बंटवारा किया जाकर वादी को उसके हिस्से के कुरे का न्यारानूर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अलग अलग लगान कायम किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री रमेश देशवाल एडवोकेट उपस्थित हुए। जवाव दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगणों द्वारा जवाव दावा पेश नहीं किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। तदुपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता की सहमति दिनांक 29.04.2024 को दावा में प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने बाबत् प्रदान की गई।

वादपत्र में दिनांक 15.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार नदबई के पत्रांक 3963 दिनांक 17.09.2024 द्वारा कुर्रे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.08.2024 तैयार कर न्यायालय हाजा में भिजवाए गए। पत्रावली बहस कुरा रिपोर्ट हेतु नियत की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र/ऐतराज कुर्रा रिपोर्ट पेश किया गया। पत्रावली बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गई। तदुपरान्त तहसीलदार नदबई द्वारा वादी एवं प्रतिवादी के परामर्श उपरान्त राजस्व ग्राम पिपरऊ के वर्तमान नक्शे में गत नक्शे के मुताबिक खसरा नंबर 456 व 458 गलत अंकन दर्ज है। वर्तमान नक्शे में खसरा नंबर 456 के स्थान पर 458 व 458 के स्थान पर खसरा नंबर 456 का अंकन है जो कि गलत है। अतः कुर्रा रिपोर्ट पुनः तैयार कर संशोधित कुर्रा रिपोर्ट पत्रांक 5477 दिनांक 21.10.2024 द्वारा प्रेषित की गई। उक्त संशोधित कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 18.10.2024 को तहसीलदार नदबई द्वारा तैयार की गई। तत्पश्चात् वादी द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर में पेश किया गया जिस पर माननीय न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.04.2025 द्वारा वादी/प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। वादी द्वारा एक अन्य मुन्तकिली प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दिनांक 24.04.2025 को पेश किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2025 अनुसार वादी/प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:03 IST
Reason: SelfAttested

21/7/25

Scanned with OKEN Scanner

किया गया। प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा जबाव आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट हेतु नियत की गई।

वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट प्रार्थना पत्र बाबत् सुनी गई। प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा बहस के दौरान कथन रहे कि दिनांक 07.08.24 एवं 18.10.2024 को जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसकी वादी को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई एव ना ही तहसीलदार नदबई मौके पर उपस्थित हुए। विवादित आराजी खसरा नंबर 469 एवं 470 दोनों पिपरऊ–नदबई रोड़ पर प्रतिवादी को दिए गए हैं। वादपत्र में दर्ज विवादित आराजी में से आधा–आधा हिस्सा दिया जावे एवं अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी दी जाए। विवादित आराजी खसरा नंबर 458 में से प्रतिवादीगण को 0.25 हैक्ट दिया गया जबकि वादी को 0.03 हैक्ट दिया गया है जो काश्त योग्य रकबा नहीं है। जबकि मौके पर वादी एवं प्रतिवादी का आधे आधे हिस्से पर कब्जा है। विवादित आराजी खसरा नंबर 462 वादी के कब्जे में है जिसमें वादी के ट्यूबवेल लगा हुआ है, वह भी प्रतिवादी को दे दिया गया। अतः आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः कुर्रा रिपोर्ट मंगवाई जावे।

अप्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जबाव आपत्ति कुर्रा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। बहस के दौरान कथन रहे कि कुर्रा रिपोर्ट मौके पर वादी की उपस्थिति में तैयार की गई है। कुर्रा रिपोर्ट पर वादी के बेटे वीरेन्द्र के हस्ताक्षर हैं जबकि वादी द्वारा कुर्रा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया गया। विवादित आराजी खसरा नंबर 973 व 974 वादी को दिए गए हैं जो कि नदबई–पिपरऊ सड़क पर स्थित है। खसरा नंबर 1257/2397 एवं 1259 पिपरऊ–न्यौंठा सड़क पर है। आराजी खसरा नंबर 458 रकबा 0.15 वादी को दिया गया है। आराजी खसरा नंबर 457 नदबई–पिपरऊ सडक पर वादी को दिया गया है तथा खसरा नंबर 927 जो सडक पर स्थित है, आधा–आधा वादी व प्रतिवादी को दिया गया है। खसरा नंबर 941 सड़क पर वादी को दिया गया है। आराजी खसरा नंबर 462 रकबा 0.15 हैक्ट0 मेरे काबिज काश्त में है जिसमें पेड़–पौधे लगा रखे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:03 IST
Reason: SelfAttested

21/7/25

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य आधारहीन होने के कारण प्रार्थना पत्र, आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट खारिज योग्य है।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 07.08.24 एवं दिनांक 18.10.24 को जो विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नदबई द्वारा तैयार किए गए थे उन पर वादी के बेटे वीरेन्द्र के हस्ताक्षर अंकित है जबकि वादी द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया जिसका स्पष्ट अंकन संशोधित कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 18.10.24 में किया गया है। प्रतिवादी को खसरा नंबर 469 रकबा 0.15 हैक्ट0 एवं 470 रकबा 0.18 हैक्ट0 दिए गए हैं जबकि वादी को भी उक्त सड़क पर खसरा नंबर 973 रकबा 0.08, 974 रकबा 0.02, 457 रकबा 0.30 कुर्रा रिपोर्ट अनुसार दिए गए हैं। अतः उक्त सड़क पर वादी व प्रतिवादी को लगभग समान रकबा के खसरा नंबर दिए गए हैं। विवादित आराजी खसरा नंबर 459 रकबा 0.28 हैक्ट0 में भी वादी को 459/1 रकबा 0.15 हैक्ट0 तथा प्रतिवादी को 459/2 रकबा 0.15 हैक्ट0 दिया गया है जबकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य गलत अंकित किया है कि वादी को उक्त खसरा नंबर 459 में से 0.03 हैक्ट. रकबा दिया गया है जो कि काश्त योग्य नहीं है। अतः तहसीलदार नदबई द्वारा खसरा नंबर 459 के विभाजन प्रस्ताव में लगभग समान हिस्सा ही वादी व प्रतिवादी को दिया गया है जो कि काश्त योग्य है। विवादित खसरा नंबर 462 रकबा 0.15 हैक्ट. जो कि प्रतिवादी को दिया गया है जिसमें कि वादी/प्रार्थी द्वारा स्वयं का ट्यूबवेल होना बताया गया है उसके संबंध में वादी/प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि उक्त खसरा नंबर वादी के कब्जेकाश्त में है एवं वादी का ट्यूबवेल आदि लगा हुआ है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नदबई द्वारा दिनांक 07.08.24 एवं 18.10.24 को जो कुर्रा विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उनको तैयार करने में राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गई है क्योंकि नियम 20 में यह स्पष्ट है कि जहां तक संभव हो विद्यमान खेतों के टुकडे नहीं किए जाएं। अतः तहसीलदार नदबई द्वारा कुर्रा रिपोर्ट तैयार करते हुए कोई त्रुटि नहीं की गई है। तहसीलदार नदबई द्वारा विवादित आराजी के संबंध में जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उनमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः प्रार्थी/वादी का ऐतराज कुर्रा/कुर्रा रिपोर्ट आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने के कारण ऐतराज कुर्रा खारिज किया जाकर दावा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :—

—::अन्तिम पर्चा डिक्री::—

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं [illegible] नंबर 1093 रकबा 0.05, 1094 रकबा 0.05, 1241 रकबा 0.12, 124[illegible] रकबा [illegible].04, 1257/2397 रकबा 0.01, 1259 रकबा 0.05, 1268 रकबा 0.11, 1287 [illegible] 0.06, 1304 रकबा 0.05, 1306 रकबा 0.03, 1310 रकबा 0.[illegible] [illegible] 1958 रकबा 0.45, 1959

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:03 IST
Reason: SelfAttested

21/7/25

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.46, 455 रकबा 0.28, 456 रकबा 0.28, 457 रकबा 0.30, 458 रकबा 0.15, 459 रकबा 0.28, 460 रकबा 0.29, 461 रकबा 0.01, 462 रकबा 0.15, 469 रकबा 0.15, 470 रकबा 0.18, 502 रकबा 0.03, 504 रकबा 0.16, 516 रकबा 0.15, 520 रकबा 0.10, 854 रकबा 0.09, 863 रकबा 0.07, 897 रकबा 0.03, 900 रकबा 0.04, 907 रकबा 0.01, 922 रकबा 0.01, 927 रकबा 0.10, 933 रकबा 0.01, 941 रकबा 0.10, 973 रकबा 0.08, 974 रकबा 0.02, 980 रकबा 0.17, 990 रकबा 0.05 किता 41 रकबा 5.20 हैक्ट वाके ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई में स्थित है।

वादी व प्रतिवादी को मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 07.08.24 के अनुसार अंकित आराजी खसरा नम्बर वाके ग्राम पिपरऊ तहसील स्थित नदबई पर (आराजी खसरा नंबर 456 व 458 के अतिरिक्त) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.08.24 (प्रदर्श—अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 07.08.24 प्रदर्श—"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे एवं विवादित आराजी खसरा नंबर 456 व 458 वाके ग्राम पिपरऊ पर वादी व प्रतिवादी को संशोधित कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 18.10.24 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.07.25 .को मेरे द्वारा लिखवायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.
सत्यमेव जयते

21/7/25
गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:23:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner